

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफ़ैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/ 21/47-21/54 दिनांक :- 21-5-19

उपनिदेशक (क्षेत्रीय)
समस्त।

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत नगरीय निकायों को ODF+ घोषित कर QCI को आवेदन करवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों द्वारा स्वयं के स्तर पर ODF+ घोषित करने हेतु QCI को आवेदन करना था, परन्तु QCI द्वारा प्रमाणीकरण में राज्य की केवल 6 नगरीय निकायों (जेसलमेर, मकराना, धोलपुर डुंगरपुर, चाकसु तथा विधाविहार) को ODF+ घोषित किया गया। शेष नगरीय निकायों ने या तो आवेदन नहीं किया अथवा QCI द्वारा ODF+ घोषित किया गया। Non ODF+ घोषित करने के प्रमुखतया निम्न कारण है:-

1. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय में पानी की अनुपलब्धता।
2. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय में लाईट पर्याप्त नहीं होना।
3. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय में Dust bin (छोटा) नहीं पाया जाना।
4. मार्डन टायलेट में, दर्पण, Hand Dryer, Soap इत्यादि न पाया जाना।
5. टायलेट में पूर्णतः साफ सफाई ना होना।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी सम्बन्धित बिन्दुओं की पालना करवाकर दिनांक 04/06/2019 तक QCI को ODF+ Certification हेतु आवेदन भिजवावे तथा निदेशालय को सूचना भिजवावें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 21.5.19

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/ 21/55-21/353

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सहायक, मुख्य अभियंता निदेशालय।
4. आयुक्त नगर निगम, परिषद अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।
5. प्रोगामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(मूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता